

कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(उद्घोषणा)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
(क्रमांक-30 सन् 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत)

क्रमांक/ 107 /भू-अर्जन/2021

खरगोन, दिनांक 24/06/2021

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(1) भूमि का वर्णन:-

(क)जिला	खरगोन
(ख)तहसील	भीकनगांव
(ग)ग्राम	दौड़वा
(घ)अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल	3.630 हे०

खसरा न.	रकबा (हे०में)	खसरा न.	रकबा (हे०में)
8/4	0.100	31/2	0.070
9	0.350	34/1/2	0.430
11/2/1	0.155	34/1/9	0.030
11/3/3	0.150	34/1/12	0.155
13	0.340	34/1/13	0.035
27/2	0.090	49/850	0.270
27/4	0.090	52/831	0.200
27/5	0.275	54/2	0.300
30/2	0.275	56/1/1	0.090
31/1	0.125	66/1/1	0.100
योग:-			3.630

2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- “सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु”।

3- प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

4- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,रा० एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुग्रहा पी)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन(म.प्र.)